न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—498 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 498)

1. श्रीमती कमला पुत्री श्री लादू पत्नी पप्पू पुत्र रूपां जाति रावत, निवासी ग्राम लामाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री गुमान पुत्र लादू जाति रावत, निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. श्रीमती गीता पुत्री लादू पत्नी मदन पुत्र भोमा जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. मदन पुत्र लादू जाति रावत, निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती सन्जू देवी पत्नी श्री पप्पू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. गोपाल पुत्र लादू जाति रावत निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. श्रीमती नौसर पुत्री लादू पत्नी बलदेव जाति रावत, निवासी ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर हाल निवासी (ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
5. महिपाल पुत्र लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. माना पुत्र लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
7. श्रीमती शारदा पुत्री लादू पत्नी हरि पुत्र जस्सा जाति रावत, निवासी ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
8. श्रीमती सुरमा पुत्री लादू जाति रावत, निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. श्रीमती सीता पुत्री लादू पत्नी प्रभू जाति रावत, निवासी—ग्राम ल्यालीखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
10. श्रीमती सीमा पुत्री लादू पत्नी नानू जाति रावत, निवासी, ग्राम सरदारपुरा राजगढ के पास तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
11. श्रीमती पानी पत्नी लादू जाति रावत निवासी(ढाबला की ढाणी) ग्राम सुरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर दिनांक 02.04.2025 राजस्व वाद संख्या 35 / 2024

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 **तलवी बंद**

निर्णय

दिनांकः—15.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 27.05.2024 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। जिस पर दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11, 13 व 14 के सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट अंकित की गई तथा प्रतिवादी संख्या 12 की अदम तामीली होने से जरिए रजिस्टर्ड एडी से तामील करने हेतु सूचित किया गया तत्पश्चात दिनांक 15.01.2025 को पत्रावली वास्ते पूर्ववत कार्यवाही हेतु नियत रही तथा दिनांक 02.04.2025 को अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, तत्पश्चात अविधिक रूप से अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सकी तथा वर्तमान में जब दिनांक 13.10.2025 को अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में दखल कर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया गया तो प्रार्थीगण ने विरोध किया जिस पर अप्रार्थीया द्वारा न्यायालय से बंटवारा डिक्री प्राप्त कर लेने की बात कही जिस पर प्रार्थीगण ने जानकारी की एवं जानकारी होने पर दिनांक 15.10.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित नकल प्राप्त की एवं आवश्यक कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अजमेर आकर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन

संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण की विधिवत तामीली नहीं हुई तथा ना ही उनको पुनः तामीली हेतु नोटिस जारी किये गये तथा ना ही उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी सीधे ही प्रकरण को पूर्ण मानते हुए अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2.4.2025 से वाद प्राथमिक डिक्री किया गया जो विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2025 प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की जो तामीली प्रस्तुत हुई उसमें सभी प्रतिवादीगण के नोटिस को प्रतिवादीगण द्वारा लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट पर तामील मानते हुए तामीली पूर्ण की गयी जबकि उक्त नोटिस पर ना तो विधिनुसार समुचित गवाह के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा जिन गवाहों के हस्ताक्षर उक्त नोटिस पर हैं वे पृथक–पृथक ग्राम के निवासी हैं जिन्हें वादीया एवं प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर की पूर्ण जानकारी, कब्जे काश्त की पूर्ण जानकारी नहीं है तथा जो प्रतिवादीगण को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। इस प्रकार वादीया द्वारा अजनबी व्यक्तियों से सांठ गांठ कर नोटिस पर उनकी गवाही करवा कर अविधिक रूप से तामीली पूर्ण करवायी है जो विधि विरूद्ध है। ऐसी अविधिक एवं अपूर्ण तामीली के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2025 पारित किया है जो अपील के माध्यम से काबिल

निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. में वर्णित आदेश 5 में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना नहीं कर केवल और केवल वादीया को अनुचित लाभ प्रदान करने की नीयत से आदेशिका दिनांक 10.7.2024 को तलबी पूर्ण करते हुए आगामी पेशी दिनांक 2.4.2025 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते वादीया का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो अविधिक होकर काबिल निरस्तनीय है। वादीया को अपना वाद सिद्ध करने के लिए वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को जरिये साक्ष्य से प्रदर्श अंकित करवाने चहिये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ना ही दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाये फिर भी वादीया के कथन को स्वीकार करते हुए सी.पी.सी में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर अदृश्य रूप से वादीया को आंवछित लाभ प्रदान करने की नियत से अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2025 पारित की है जो Abuse Of Law And Procedure से बाधित होकर प्रथम दृष्टया ही अपील के माध्यम काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के आधार पर वाद वास्ते बंटवारा प्रस्तुत किया है जबकि वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हक हिस्से बाबत ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध है कि वादीया का जो राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है वह विधिक है एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये जवाब दावा के स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार वादीया ने जानबूझ कर मनमाने ढंग से बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत कर सभी प्रतिवादीगण की अविधिक रूप से तामिली बताकर उक्त आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री प्राप्त की है जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की आदेशिका को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया को अवांछित लाभ प्रदान करने की नियत से अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर एवं विधि में वर्णित प्रावधान को नजर अन्दाज कर एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को ताक में रखकर वाद को शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने में तत्परता दिखाई है एवं निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जो कि न्याय की मंशा नहीं है जिससे भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन वाद पत्र को केवल मात्र तीन चार पेशीयों में ही निस्तारित कर वादीया के पक्ष में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे उनके द्वारा पारित डिक्री वादीया को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से पारित करने से भी काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि कि जिसके अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खाता सख्या 157/333 कि जिसमें वादिया का 3/4 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 प्रत्येक का 1/52 1/52 हिस्सा दर्ज है तथा वर्तमान खाता संख्या 156/332 कि जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 का प्रत्येक का 1/26 1/26

हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार दर्ज है कि जिसकी पुष्टि हेतु वाद पत्र के साथ अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की प्रति संलग्न है। वाद पत्र में वर्णित भूमि जो कि वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार संयुक्त सहहिस्सेदारी खातेदारी की भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 दर्ज है। जबकि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के मध्य आपसी बाहमी बंटवाडा भी हो रखा है। वादिया के द्वारा भारी श्रम एवं अर्थ लगाकर मौके पर आपसी बंटवाडे के अनुसार वादिया जो कि वर्तमान खाता संख्या 157/333 की कुल भूमि 1.5500 हैक्टयर कि जिसमें 3/4 हिस्सा के अनुसार 1.1625 हैक्टयर की भूमि एवं साथ ही वर्तमान खाता संख्या 156/332 का कुल रकबा हैक्टयर की जिसमें 1/2 हिस्सा यानि रकबा 0.185 हैक्टयर की भूमि पर वादिया काबिज है, इस प्रकार वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.92 हैक्टयर में से 1.3475 हैक्टयर की भूमि पर वादिया जो कि एक ही चक है, पर काबिज है, जिसके चौतरफ तारबन्दी भी है एव जामुन, गुलाब, नींबू, गुन्दा, शहतूत का बगीचा भी लगा हुआ है तथा 02 बोरिंग, एक 02 कमरे टीनशेड, किचन, लैट्रिन बाथरूम भी निर्मित है तथा विद्युत कनैक्शन भी स्थापित है तथा लोहे के 02 गेट भी लगे है, कि जिसकी सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम मे शेष हिस्सेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 की भूमि, उत्तर में रास्ता आम तथा दक्षिण में करण राज सिंह व हर्षवर्धन सिंह पुत्रगण श्री चन्द्र सिंह रावत की भूमि, इस प्रकार इस पैरा में वर्णित भूमि जो कि वादिया एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से 13 के मध्य आपसी बाहमी बंटवाडे के अनुसार वादिया काबिज है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादिया एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से 13 की संयुक्त सहहिस्सेदारी, संयुक्त खातेदारी में दर्ज है इस कारण वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि का बाय मीट्स एण्ड बाउण्डस के सहित टेनेन्सी रूल्स 18 से 21 के अनुसार यानि इस पैरा में वर्णितानुसार भूमि का बंटवाडा वांछित है, बंटवाडे के अनुसार वादिया के हिस्से की भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में वादिया का अलग से खाता भी कायम किया जावे एवं साथ ही वादिया को बंटवाडे में प्राप्त भूमि का वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम भी करवायी जावे कि इस आशय की बंटवाडे की आज्ञप्ति पारित की जावे जिस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है। वादिया के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 को दिनांक 31—03—2024 को वाद पत्र में वर्णित भूमि का वाद पत्र की पैरा सख्या 03 में वर्णितानुसार बंटवाडा किए जाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के द्वारा बंटवाडा करने से इन्कार किया गया इस कारण वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि का टैनेन्सी रूल्स 18 से 21 के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार, वाद पत्र की पैरा सख्या 03 में वर्णितानुसार वाद पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि का बंटवाडा किया जाना वांछित है कि जिस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है। वर्तमान अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी के अनुसार वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि जो कि संयुक्त सहहिस्सेदारी में दर्ज है, कि जिसका बंटवाडा वांछित है, बंटवाडे के अभाव में वादिया उसके हिस्से की भमि के सन्दर्भ में और भी तरक्की विकास किया जाना वांछित है जो कि बंटवाडे के अभाव में वादिया को भारी परेशानी हो रही है, इस कारण वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि का वाद पत्र में वर्णितानुसार बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सहित बंटवाडा वांछित है, जिस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 एवं उनके वारिस अटार्नीज के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति भी प्रसारित की जाकर पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि कि जिसका आपसी बंटवाडा जो कि वाद पत्र की पैरा सख्या 03 में दर्शाया गया है के वादिया के शान्तिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार से दखल व्यवधान नहीं किया जावे, इस

आशय की स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 को पाबन्द किए जाने हेतु भी वाद पत्र प्रस्तुत है। अन्यथा वादिया के विधिक अधिकारों एवं शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त की सुरक्षा किया जाना सम्भव नहीं होगा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के बजाय तुलनात्मक भारी असुविधा वादिया को होगी, ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत है। वादिया के द्वारा वाद पत्र बाबत बंटवाडा प्रस्तुत किया गया है इस कारण वाद पत्र में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जो कि भूमि धारक है एवं उक्त वाद पत्र में बंटवाडा बाबत न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश पारित किया जायेगा कि जिसकी पालना तहसीलदार पीसांगन के द्वारा ही की जावेगी इस कारण वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 14 कायम किया गया है। वाद पत्र में सुविधा का संतुलन कानून न्याय समानता, प्राकृतिक एवं नैसर्गिग न्याय सिद्धान्त आदि वादिया के पक्ष में है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिए नोटिस किए जाने के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 02.04.2025 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर खाता संख्या 157/333 के खसरा संख्या 1309, 1310, 1311, 1313, 1314 व खाता संख्या 156/332 के खसरा नम्बर 1312, 1313/1725 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीया के हिस्से की भूमि का वादीया के पक्ष में अलग से खाता भी कायम करवाया जावे एवं वर्तमान राजस्व नक्शे में भी वादीया के हिस्से की भूमि का बंटवाडा में प्राप्त की तरमीम भी करवाई जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 एवं उनके वारिस अटार्नी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर पाबंद किया जावे। इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 157 के खसरा नम्बर 1309, 1310, 1311, 1313, 1314 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5500 है0 के अपीलांट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 11 प्रत्येक खातेदार उक्त आराजीयात में 1/52 हिस्सा का खातेदार/काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त आराजीयात में 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 156 के खसरा नम्बर 1312 व 1313/1725 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3700 के अपीलांट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 11 प्रत्येक खातेदार उक्त आराजीयात में 1/26

हिस्सा का खातेदार/काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स उक्त आराजीयात के सहखातेदार/सहकाश्तकार दर्ज हैं तथा एक सहखातेदार अपनी आराजीयात का विधिक बंटवारा करवाने का हक अधिकार अपने में सुरक्षित रखता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को दिनांक 27.05.2024 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने सम्मन लेने से इंकार किया गया प्रतिवादी संख्या 12 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रकरण में विधि सम्मत रूप से निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 पारित की गई।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी के पास भरपूर अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए, चूंकि प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया, इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही पारित की गई है, जिसमें किसी भी पक्ष का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किए गए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को विधिवत तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक पक्षकार की तामीली विधिवत रूप से दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर से करवाई गई है, प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया है, अतः तामील विधिवत रूप से हुई है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है तथा अपीलांट यह बताने में भी विफल रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किस प्रकार त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर